को पेश हो।

19/12/14 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र मे बेचाननामा, नामांतरण व खसरा आराजी की नवीनतम जमाबंदी प्रस्तुत की, प्रति अधिवक्ता अपीलांट को दिलाई गई।

[signature]

किस्म मुकदमा ....मुकदमा नम्बर ....सन्................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बेचान अभिलेख, नामांतरण एवं जमाबंदी का अवलोकन किया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा वाद ग्रस्त आराजी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बंटवारा बाबत डिक्री से असंतुष्ट होकर रेस्पोंडेंट के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की तथा प्रकरण में न्यायालय हाजा का स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा बंटवारे में प्राप्त वादग्रस्त आराजी के अपने संपूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया गया है तथा क्रेता के पक्ष में भू अभिलेख में अपीलांट नामांतरण स्वीकृत होकर के स्थान पर क्रेता का नाम दर्ज हो चुका है अतः अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अधिवक्ता रेस्पोंडेंट के प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का कोई खंडन नहीं किया। मेरा यह विनम्र मत है कि वादग्रस्त आराजी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पोंडेंट्स के मध्य बंटवारा बाबत पारित डिक्री का क्रियान्वयन होकर जमाबंदी में सभी सहखातेदारान के नाम खाता पृथक पृथक दर्ज हो चुके हैं तथा अपीलांट द्वारा जेरे अपील न्यायालय हाजा को सूचित किये बिना एवं न्यायालय हाजा की अनुमति प्राप्त किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलांट के हिस्से में आई आराजी का अपीलांट द्वारा क्रेता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहदेवसिंह के पक्ष में अपने संपूर्ण स्वं के हिस्से का पंजीबद्ध विक्रय अभिलेख के माध्यम से हस्तांतरण कर दिया है तथा नामांतरण संख्या 777 दिनांक 06/05/22 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी विक्रेता का नाम विलोपित किया जाकर क्रेता का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है, अतः अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री द्वारा उसके हिस्से में दिये गये वादग्रस्त आराजी के भाग को स्वीकार करते हुये उसका हस्तांतरण कर देने तथा अपीलार्थी स्वयं खातेदार नहीं रहने के कारण हितबद्ध पक्षकार भी नहीं प्रकरण में अब आवश्यक किसी प्रकार का विवाद अवशिष्ट रहा है, अतः अपीलार्थी की अपील में नहीं होने के कारण अपील समाप्त हो चुका है तथा अपील अधिकार समाप्त हो चुकी है, अतः अपील अप्रभावी व निरर्थक हो चुकी है, खारिज की जाती है, अपीलार्थी इस स्तर पर खारिज प्रति के साथ अधीनस्थ निर्णय की प्रमाणित अभिलेख लौटाया जाए। न्यायालय का अभिलेख 05/05/22 को पारित प्रकरण में दिनांक अंतरिम अस्थायी आदेश अपास्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर बाद तकमील संख्या से एकत्र होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को सरे इजलास सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) राजस्व अपील अधिकारी पाली	